



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-52 / 2015 (T.S.P)- 663

दिनांक : 12.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी-पथराट रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों को पूर्ण करने हेतु अवशेष कार्यों के लिए कुल ₹0 268.003 लाख (दो करोड़ अड़सठ लाख तीन हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योब0-64 / 2015- 48 / स्वी0 व0प0 दिनांक 23.12.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4 / योबजट-64 / 2015- 11 / आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 (दो करोड़ अड़सठ लाख तीन हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601796590103	107.201
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796590323	160.802
कुल :-		268.003

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनु0-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19P240601796590103 तथा 19P240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं निर्धारित कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.2015 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

10. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. तकनकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

16. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से की किया जायेगा।

18. योजना क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय तौर पर संपादित कराये जाने वाले सिविल कार्यों के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 4/यो० बजट-42/2010- 3916 दिनांक 13.09.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


19. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

20. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

21. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

22. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,
21/09/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

14. तकनकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय “स्थल विशेष प्राक्कलन” योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

16. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से की किया जायेगा।

18. योजना क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय तौर पर संपादित कराये जाने वाले सिविल कार्यों के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 4/यो० बजट-42/2010- 3916 दिनांक 13.09.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

20. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

21. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

22. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो०बजट-52/2015 (T.S.P)- 663 दिनांक- 12.05.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र- जमशेदपुर/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ राँची/ इनविस सेन्टर, वन भवन, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

14. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

16. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से की किया जायेगा।

18. योजना क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय तौर पर संपादित कराये जाने वाले सिविल कार्यों के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 4/यो० बजट-42/2010- 3916 दिनांक 13.09.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

20. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

21. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

22. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो०बजट-52 / 2015 (T.S.P)- 663 दिनांक- 12.05.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र- जमशोदपुर/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशोदपुर/ राँची/ इनविस सेन्टर, वन भवन, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—52 / 2015 (T.S.P)— 663 दिनांक— 12.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला—खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।


अपर म्रधान मुख्यमंत्री सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी-पथरत रोपण-सह- शहरी वानिकी योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों को पूर्ण करने हेतु अवशेष कार्यों के लिए उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	प्रावक्षित राशि (2015-16 से 2016-17 तक)	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्थीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
	1 मानगो शहरी क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण						
	i वन भूमि का 2700 x 6 फीट चहारदिवारी निर्माण	49.544	20.000	29.544	11.818	17.726	29.544
	ii मेन गेट का निर्माण	2.803	2.803	0.000	0.000	0.000	0.000
	iii 3000 फीट पेमर ब्लॉक पथवे का निर्माण	10.362	0.000	10.362	4.145	6.217	10.362
	iv 15 बैचों का निर्माण	3.950	3.950	0.000	0.000	0.000	0.000
	v 10 डस्टबीन की स्थापना	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	vi 50 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	1.945	1.945	0.000	0.000	0.000	0.000
	vii सजावटी पौधों का रोपण	4.355	0.000	4.355	1.742	2.613	4.355
	योग :-	73.959	29.698	44.261	17.704	26.557	44.261
	2 पारडीह शहरी क्षेत्र-2 का सौन्दर्यीकरण						
	i वन भूमि का 4158 x 6 फीट चहारदिवारी निर्माण	76.299	25.000	51.299	20.520	30.779	51.299
	ii मेन गेट का निर्माण	2.803	2.803	0.000	0.000	0.000	0.000
	iii 3000 फीट पेमर ब्लॉक पथवे का निर्माण	10.362	0.000	10.362	4.145	6.217	10.362
	iv 15 बैचों का निर्माण	3.950	3.950	0.000	0.000	0.000	0.000
	v 10 डस्टबीन की स्थापना	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	vi 50 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	1.945	1.945	0.000	0.000	0.000	0.000
	vii सजावटी पौधों का रोपण	4.355	0.000	4.355	1.742	2.613	4.355
	योग :-	100.714	34.698	66.016	26.406	39.610	66.016
	3 गोविन्दपुर क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण						
	i वन भूमि का 2200 x 6 फीट चहारदिवारी निर्माण	40.369	27.402	12.967	5.187	7.780	12.967
	ii मेन गेट का निर्माण	2.803	2.803	0.000	0.000	0.000	0.000
	iii 3000 फीट पेमर ब्लॉक पथवे का निर्माण	10.362	0.000	10.362	4.145	6.217	10.362
	iv 15 बैचों का निर्माण	3.950	3.950	0.000	0.000	0.000	0.000
	v 10 डस्टबीन की स्थापना	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	vi 50 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	1.945	1.945	0.000	0.000	0.000	0.000
	vii सजावटी पौधों का रोपण	4.355	0.000	4.355	1.742	2.613	4.355
	योग :-	64.784	37.100	27.684	11.074	16.610	27.684
	सकल योग :-	239.457	101.496	137.961	55.184	82.777	137.961
	1 जय प्रकाश उद्यान का विकास एवं सौन्दर्यीकरण						
	i वन भूमि का 6270 x 6 फीट चहारदिवारी निर्माण	115.035	30.000	85.035	34.014	51.021	85.035
	ii मेन गेट का निर्माण	2.803	2.803	0.000	0.000	0.000	0.000
	iii 3000 फीट पेमर ब्लॉक पथवे का निर्माण	10.362	0.000	10.362	4.145	6.217	10.362
	iv 10 बैचों का निर्माण	2.633	2.633	0.000	0.000	0.000	0.000
	v 10 डस्टबीन की स्थापना	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	vi 20 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	0.778	0.778	0.000	0.000	0.000	0.000
	सकल योग :-	132.611	37.214	95.397	38.159	57.238	95.397

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	प्रावक्षित राशि (2015–16 से 2016–17 तक)	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
राँची वन प्रमण्डल, राँची	1 जोन्हा जलप्रपात का विकास						
i	स्थल सफाई	0.138	0.138	0.000	0.000	0.000	0.000
ii	चहारदिवारी का निर्माण	4.057	4.057	0.000	0.000	0.000	0.000
iii	कैफेटेरिया का निर्माण	26.179	13.000	13.179	5.272	7.907	13.179
iv	चेकर टाइल्स पथ का निर्माण	15.679	10.000	5.679	2.272	3.407	5.679
v	पेमर ब्लॉक पथ का निर्माण	1.310	1.310	0.000	0.000	0.000	0.000
vi	दुकान का निर्माण	11.928	5.000	6.928	2.771	4.157	6.928
vii	6 आर०सी०सी० शेड का निर्माण	11.434	5.000	6.434	2.574	3.860	6.434
viii	आर०सी०सी० बैच का निर्माण	1.697	1.697	0.000	0.000	0.000	0.000
ix	अन्य व्यय	2.425	0.000	2.425	0.970	1.455	2.425
सकल योग :-		74.847	40.202	34.645	13.858	20.787	34.645
कुल सकल योग :-		446.915	178.912	268.003	107.201	160.802	268.003

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–64/2015– 48 /स्वी० व०प० दिनांक 23.12.2015


12.12.2016
अपर प्रधान सुखावन सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची



राजस्थान सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु लिम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-52/2015/663

दिनांक -

12-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	24635	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	5,518,400.00
2	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	24655	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	3,815,900.00
3	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	24656	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,385,800.00


10,720,100.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड़ सात लाख बीस हजार एक सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	24657	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	8,277,700.00
5	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	24658	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	5,723,800.00
6	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	24659	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	2,078,700.00
योग:				16,080,200.00
क्रमिक योग:				26,800,300.00
 (SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN (FS)) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				